इकाई 2 दार्शनिक आधार*

संरचना

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 वैचारिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि

2.3 भारत का संविधान सभा का दर्शन

2.4 संविधान सभा और शैक्षिक बहस

2.5 सारांश

2.6 उपयोगी संदर्भ

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

भारत का संविधान लोगों के संपूर्ण कल्याण के लिए एक अलौकिक दस्तावेज है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसके प्रावधान है। इसकी दृष्टि कुछ दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। आप जैसा कि इकाई संख्या 3, 4, एवं 5 में पढ़ेंगे, भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो भारत के लोगों के लिए तथा भारत को एक जनतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का संकल्प लेता है। जहाँ सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का भी संकल्प है चाहे वो किसी भी जाति, नस्ल, लिंग, या जगह से संबंधित हो। ये सिद्धांत सभी व्यक्तियों को स्वायत्ता एवं सम्मान प्रदान करते हैं। सभी व्यक्ति अपने निर्णय लेने में सर्वोच्च हैं और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। यह इकाई भारत के संविधान के दार्शनिक आधारों की चर्चा करेगी।

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप यह जान पायेंगे;

- भारतीय संविधान का दार्शनिक उन्मुखीकरण;
- संविधान सभा की वैचारिक रचना; एवं
- संविधान सभा के वैचारिक उन्मुखीकरण के कारक।

2.1 प्रस्तावना

जैसे आपने इकाई 1 में पढ़ा है भारत का संविधान, संविधान सभा में गम्भीर चर्चा का परिणाम है। इसको 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान का मूल दार्शनिक आधार एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन को दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखण्डता सुनिश्चित हों। जैसे आप 3 तथा 4 इकाइयों में पढ़ेंगे संविधान के मूल दार्शनिक आधार की जड़ें भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व के प्रयत्नों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय भारत का कॉमन वेल्थ विधेयक 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928 तथा सप्रू रिपोर्ट 1945 ने लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों की सिफारिश की थी। ये प्रजातांत्रिक अधिकार थे; व्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, न्याय की समानता,

* प्रतिप चटर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, कल्याणी विश्वविद्यालय, नदिया, पश्चिम बंगाल

अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाना। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों तथा जनजातियों एवं सरकारी हस्तकक्षेप से बाहर रखे गए तथा क्षेत्रों (Excluded Areas) की समिति द्वारा भी इन मूल्यों की सिफारिश की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए उद्देश्य संकल्प (Aims and Objectives Resolution) संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान के मूल दर्शनों ने देश के भविष्य के संविधान के मुख्य उद्देश्यों की पहचान की। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका संस्थाओं को भी दार्शनिक औपनिवेशिक काल से जोड़ा जा सकता है। संविधान के मूल आधार न केवल व्यक्तियों, समुदायों और राज्य के संबधों को वरन शासन एवं सरकार की विभिन्न इकाइयों के संबंधों में भी प्रदार्शित होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का प्रथक्करण (Separation of Power) तथा संघ, राज्यों एवं स्थानीय स्वाशासन संस्थाओं के मध्य शक्तियों का विभाजन (Division of Power) इसके उदाहरण है। पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान के विशेष प्रावधान भी संविधान के दार्शनिक आधार द्वारा निर्मित किए गए हैं। संविधान सभा के नेताओं का यह मानना था कि भारतीय संविधान के मौलिक आधार और भारतीय परम्पराएं एक दूसरे से मेल खाती है। इन आधारों के कारण भारतीय संविधान भारत में प्रज्ञातंत्र के क्रियान्वयन का मार्गदर्शन कर सका है।

2.2 वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि

संविधान सभा के सदस्यों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। इसके अंदर सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के वैचारिक सिद्धांतों का आधार उनके सदस्यों की वैचारिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि का होना था। संविधान सभा में विभिन्न वैचारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल थे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब दॉ इन्डियन कांस्टीएयूशन : कार्नेस्टोन ऑफ ए नेशन (भारतीय संविधानः राष्ट्र की आधारशिला) में सभी सदस्यों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। इसमें उनकी दलिय संबंध, उनकी जाति एवं समुदाय का संबंध तथा उनके क्षेत्र का भी जिक्र है। यद्यपि उनके अंदर मतभेद थे फिर भी संविधान के प्रावधान उनके विचारों का संरलेषण है। ये विचार काफी गंभीर चर्चा के बाद उभर कर सामने आये थे। माधव खोसला ने अपनी पुस्तक इन्डियन कॉस्टीएयूशन (भारतीय संविधान (2012) में यह अवलोकन किया कि संविधान में ''बौद्धिक विविधता'' का समावेश एवं प्रतिनिधित्व था। यहां तक कि उनके भीतर मतभेद होने के बावजूद, संविधान सभा के सदस्य विचार–विमर्श करने के पश्चात् आम सहमति पर पहुँच थे। वास्तव में संविधान सभा ने किसी खास समुदाय के हितों की अनदेखी नहीं की थी। संविधान के सदस्यों के अंदर केन्द्रिय आकृति का भाव था।

ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में संविधान सभा के चार सदस्यों का संविधान सभा के अंदर आधिपत्य था। ये सदस्य थे, मौलाना आजाद, जवाहर लाल नेहरु, वल्लभ भाई पटेल और राजेन्द्र प्रसाद। उन्होंने संविधान सभा में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बी. एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे फिर भी उन्होंने संविधान सभा सलाहकार की भूमिका निभाई थी। उन्हें पश्चिमी संविधानों की परंपरा का अभ्यास था। संविधान सभा ने गाँधीवादी विचारों को निरस्त कर दिया था। उन्होंने काँग्रेस को नये रूप में देखा और भारतीय राजनीतिक जीवन में पंचायतों को केन्द्र माना। गाँधीवादी और हिन्दू राष्ट्रवादी चाहते थे कि संविधान में हिन्दू धार्मिक मूल्यों को शामिल किया जाये। लेकिन ये निरस्त कर दिये गये। संविधान को संशोधित किया जा सकता है। लेकितन इसके मूल ढ़ांचे को नहीं बदला जा सकता है। कुल मिलाकर, संविधान में वैचारिक आधार इसके केन्द्र बिंदु है। लोकतांत्रिक मूल्य, व्यक्ति एवं समूह अधिकार, अधिकारों का संविधानिक गणना, सार्वभौम मताधिकार,

संसदीय लोकतंत्र शक्तियों का विभाजन, केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधानिक अधिकारों जैसे समानता के अधिकार की गारंटी देना इत्यादि संविधान के अंतर्भाग है।

जैसा कि आप इकाई संख्या 3 में पढ़ेगे, संविधान सभा में कुल 15 समितियां थी जिसमें 80 से अधिक व्यक्तियों की सदस्यता भी शामिल थी। इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट 1947 में अप्रैल और अगस्त में सौंप दी थी जिनपर संविधान सभा ने विचार किया। इन निर्णयों के आधार पर संविधान के अंतिम आकार एवं रूप डा. अंबेडकर ने दिया जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान के मसौदे को संविधान सभा में पेश किया गया तथा इसे 4 नवंबर 1948 को चर्चा के लिए रखा गया। संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 के इस पर दुबारा अध्ययन किया। करीब 7635 संशोधन लागे गये जिनमें 2473 पर चर्चा की गयी। संविधान सभा ने अंत में 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से संविधान को मंजूरी दी तथा उसी दिन अध्यक्ष ने हस्ताक्षर करके इसे पारित करने की घोषणा की। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र बुलाया गया और डा. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान 26 जनवरी, 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान में जो संविधान सभा ने पारित किया उस समय उसमें, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी।

संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा को एक दूरदर्शी संस्था माना था। यह केवल प्रतिनिधि संस्था ही नहीं थी बल्कि इसमें उन लोगों का प्रनिधित्व था जो भविष्य के विषय में सोचते थे। इसका कार्य केवल संविधान का निर्माण करना ही नहीं था बल्कि राजनीतिक एवं सामाजिक ढ़ाँचे के इतिहास पर प्रकाश डालना तथा नई सरकार के गठन को प्रयास करना था। जवाहर लाल नेहरु ने संविधान सभा के बारे में कहा कि इसने लोगों के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की थी। यह स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम मुद्दों को नारों से बदलकर हकीकत में लाना था तथा यह संविधान की रचना की विधि और प्रक्रिया दोनों ही थी।

अभ्यास प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) भारतीय संविधान की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या थी?

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 भारत की संविधान सभा का दर्शन

दर्शन का अर्थ है दृष्टिकोण जो कि कार्यप्रणाली में प्रतिबिंबित हुआ था। भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संविधान सभा को सौंपा गया था। संविधान सभा के अंदर राजनीतिक और कानूनी विद्वान मौजूद थे। ये सभी सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को संविधान निर्माण में सभा योजन करने को उत्सुक थे। इसलिए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद,

समानता न्याय एवं स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को भारतीय संविधान में जगह दी गयी और ये सभी सिद्धांत भारत के संविधान के अहम बिंदू माने गये थे जो संविधान सभा ने बनाये थे। जैसे आप इकाई 2 से 5 में पढ़ोगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं इसकी प्रस्तावना मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिए गए है। संविधान के दार्शनिक आधार बनाने में संविधान सभा के अन्य सदस्यों के साथ–साथ जवाहरलाल नेहरू, डा. बी. आर. अम्बेडकर, बल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक ''भारतीय संविधान : राष्ट्र की आधारशिला (1976) में यह टिप्पणी की कि ''पटेल की रूचि देशी रियासतों में थी, लोक सेवाओं और ग्रह मंत्रालय के कार्य से थी, जबकि नेहरु की रूचि मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा संविधान के सामाजिक सुधार पहलू पर अधिक था''। भारत की संविधान सभा के दार्शनिक आधार निम्न थे :–

क) संप्रभुता – जब संविधान निर्माताओं ने भारत की राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचा तो उन्होंने सबसे ज्यादा भारत की संप्रभुता के बारे में सोचा था। भारत को संप्रभु बनाना उनके लिए महत्वपूर्ण था और सर्वोच्च शक्ति को उन्होंने लोगों में निहित की थी। केन्द्र एवं राज्यों के सभी अंग तथा कार्यप्रणाली केवल भारत के लोगों से ही शक्ति ग्रहण करते हैं।

ख) लोकतांत्रिक मूल्य – संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को भी बहुमूल्य माना था। क्योंकि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्य देश को मजबूती प्रदान करते है तथा सभी लोगों की आवाज को समान महत्व देते हैं।

ग) आम सहमति से निर्णय लेना – ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार आम सहमति की अवधारणा संविधान सभा में आम बात थी। नेतृत्व के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले आम सहमति से निर्णय ले क्योंकि यह तार्किक एवं प्रभावी रास्ता माना जाता है किसी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए। यह सिद्धांत भी भारतीय संविधान की रचना के लिये सबसे उपयुक्त था। सबके अधिक आम सहमति शायद संघीय प्रावधान एवं भाषायी प्रावधानों में देखने को मिली है।

घ) समायोजन का सिद्धांत – ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार, संविधान निर्माण में भारत का मूल योगदान इसके समायोजन का सिद्धांत था। अर्थात् जाहिर तौर पर असंगत अवधारणाओं में सामंजस्य करने की क्षमता। इसने संघीय एवं एकल व्यवस्था के बीच सामंजस्य बैठाया, राष्ट्रमंडल एवं रिपब्लिक सरकारों की सदस्यता के बीच सामंजस्य तथा मजबूत केन्द्र सरकार के साथ–साथ पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों के सामंजस्य की दुहाई देना।

ङ) चयन एवं परिवर्तन की कला – संविधान सभा केवल अनुकरणात्मक नहीं थी। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं से लिये गये प्रावधानों को संविधान सभा ने भारतीय स्थिति के साथ अनुकूल बनाने के लिये प्रयास किये। चयन एवं परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, ऑस्टिन के अनुसार संविधान में संशोधन की विधि था। इसने संविधान को लचीला बनाया तथा राज्यों के अधिकारों की भी रक्षा की थी। किसी अन्य देश में संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश से अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ संघवाद और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था दोनों संविधान का आधार स्वरूप है।

च) मूल अधिकार – विशेष–रूप से वल्लभ भाई के कारण मूल अधिकारों को संविधान में न्यायोचित बनाया गया है और ये अधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के जीवन का आधार माने जाते है। अधिकारों की वजह से ही सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते है।

छ) धर्मनिरपेक्ष राज्य – धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो कि भारत के नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिये हैं। धर्म–निरपेक्षता के सिद्धांत को संविधान सभा में कॉंगेस के एक वर्ग ने स्थापत्य किया था, जिनका मानना था कि भारत को एक धर्म–निरपेक्ष राज्य होना चाहिये।

ज) समाजवाद – वल्लभभाई पटेल के प्रभाव के कारण ही हमारे संविधान में समाजवाद के सिद्धांतों को जगह दी गयी। यह पहले कभी नहीं था जैसा कि वर्तमान संविधान में है।

झ) अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण – समायोजन के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान के समांनांतर ही संविधान सभा ने समाज के अल्पसंख्यक तबकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान किया था। संविधान सभा की दो महिला सदस्यों ने इस सिद्धांत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें अमृत कौर तथा बेगम एजाज रसूल प्रमुख थी जिन्होंने यह कहा कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग भारत के आंतरिक भाग हैं उन्हें आरक्षण की जरूरत है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।

ञ) वयस्क मताधिकार – संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को एकदम सही माना था। राजेन्द्र प्रसाद और जवाहर लाल नेहरु दोनों महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार का समर्थन किया था तथा सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देकर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) संविधान के दार्शनिक आधारभूत सिद्धांत क्या थे?

.....

.....

.....

.....

2.4 भारत की संविधान सभा और शैक्षिक विचार–विमर्श (बाहय)

जैसा कि पहले कहा जा चुका है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार से नहीं हुआ था। उनका चुनाव प्रतिबंधित वयस्क मताधिकार प्रणाली से हुआ था जिसका प्रमुख आधार शैक्षिक योग्यता एवं संपत्ति थी। कुछ आलोचक यह कहते है कि यह सभा विशिष्ट लोगों की संस्था थी जिसमें आम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। जय प्रकाश नारायण ने इसे ''प्रतिबधित और नियंत्रित संविधान सभा'' कहा था जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उपज थी और यह देश को स्वतंत्रता दिलाने में भी असमर्थ थी। चर्चिल ने कहा कि यह सभा ''केवल एक समुदाय को प्रतिनिधित्व करती थी'' तथा विन्सेंट साइमन के लिये यह ''हिन्दुओं की संस्था थी''। संविधान सभा की कार्य–प्रक्रिया, संगठन तथा इसके चरित्र को भी आलोचना की गयी है क्योंकि इसमें कॉंग्रेस पार्टी का वर्चस्व अधिक था क्योंकि विभाजन के बाद कॉंग्रेस का इसमें बहुमत था। प्रोफेसर सिबन लाल सक्सेना

का मानना था कि कॉंग्रेस पार्टी की मीटिंग ही वास्तव में संविधान सभा की मीटिंग में तबदील हो गयी थी तथा यह वास्तविक सभा एक दिखावटी सभा बनकर रह गयी थी क्योंकि जो भी चर्चा कॉंग्रेस पार्टी में होती थी वो ही इसमें दर्ज होती थी।

यद्यपि संविधान सभा को भारत के बहुसख्यक लोगों का विश्वास हासिल था फिर भी कुछ आलोचक यह मानते थे कि इसमें केवल राजनीतिज्ञ और अधिवक्ताओं का ही वर्चस्व था। इसका परिणाम यह हुआ कि इसके कारण देश को बहुत बड़ा दस्तावेज मिला। इस प्रकार संविधान की प्रायः आलोचना भी की जाती है क्योंकि इसे अधिवक्ताओं का स्वर्ग कहा जाता है। इसी आलोचना में एस. के. चौबे ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान सभा एक अद्वितिय सभा थी जो कि डोमिनियन भारत की प्रथम सार्वभौम संस्था थी जो स्थिरता एवं अनुकूलन क्षमता के बीच संतुलन बना रही थी। ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि लिखित संविधान का महत्व समाज के नियमों के लिये आवश्यक होता है, जो कि भारत के संविधान में यह साबित किया है अपने अनुभवों से। कश्यप ने यह तर्क दिया कि भारत का संविधान केवल राजनीतिक एवं कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह नागरिकता के मूल्यों का चार्टर है। संविधान सभा के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए, जो कि जवाहरलाल नेहरु ने 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में पेश किये थे, सुभाष कश्यप ने टिप्पणी की कि ''ये प्रमुख बिन्दु संविधान की दिशा एवं मुख्य मूल्यों का चित्रण करते है तथा प्रस्तावित उद्देश्य संविधान के मौलिक तत्व भी है। ये प्रस्ताव से कहीं ज्यादा थे। यह एक घोषणा थी, सुदृढ़ संकल्प, सूझबूझ और समर्पण था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा को दिशा–निर्देश भी दिया तथा संविधान निर्माण में दार्शनिक कार्य भी किया।

2.5 सारांश

भारत का संविधान एक दृष्टि दस्तावेज है जो बिना, वर्ग, जाति, नस्ल तथा जन्म स्थान के आधार पर सभी के कल्याण के बारे में बात करना है। यह दृष्टि संविधान की प्रस्तावना एवं अन्य भागों में दर्शित है। इसमें कुछ आधारभूत सिद्धांत जैसे लोकतंत्र, संप्रभुता, समायोजना, आमसहमति समाजवाद एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के अधिकारों की बात भी कही गयी है। ये आधारभूत सिद्धांत भारतीय एवं पश्चिमी दार्शनिक परंपरा का मिश्रण हैं। संविधान सभा का दर्शन मूल रूप से जवाहरलाल नेहरु के उद्देश्य प्रस्ताव से मिलता है जो उन्होंने 1946 को दिये थे बाद में ये सिद्धांत ही संविधान सभा में चर्चा का आधार साबित हुए थे। दार्शनिक सिद्धांत संविधान निर्माताओं को नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंद्धता का मार्गदर्शक करते हैं। ये विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधि करते थे। विभिन्न विचारों के बावजूद वे समान लक्ष्यों पर सहमत हुए थे जैसे कि भारत को एक संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाना जिसमें सभी वर्गों का कल्याण तथा देश की एकता एवं अखंडता सुरक्षित की जा सकें। यह दृष्टि तभी संभव है जब संविधान का आधार दार्शनिक आधारभूत सिद्धांतों पर हो।

2.6 उपयोगी संदर्भ

बसु, दास दुर्गा, (2011), भारत के संविधान का परिचय, नई दिल्ली, नागपुर, आगरा, वर्धा, कंपनी (लॉ प्रकाशन)

चौबे, एस. के (1976), भारत की संविधान सभा, क्रांति की प्रतीक, नई दिल्ली, मनोहर प्रकाशन

ग्रेनविल ऑस्टिन, (2002) लोकतांत्रिक संविधान की कार्यप्रणालीः भारत का अनुभव, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस

कश्यप, सुभाष, (1997), नागरिक और संविधान, सूचना और प्रशासन मंत्रालय, नई दिल्ली

खोसला, माधव, (2012), भारतीय संविधान, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) भारतीय संविधान की दार्शनिक–पृष्ठभूमि का आधार संविधान सभा को बनावट के चरित्र को जाता है। यद्यपि इसमें काँग्रेस का वर्चस्व था, फिर भी इसमें विभिन्न जातियों समूहों एवं राजनीतिक क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व था। उन्होंने जनतांत्रिक मूल्यों की वकालत की जैसे, गणराज्य, शक्तियों का विभाजन, सीमाओं का बंटवारा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों का सम्मान करना।

अभ्यास प्रश्न 2

1) संविधान के दार्शनिक आधारभूत सिद्धांत ये हैं :– संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्य, आम सहमति में निर्णय–निर्माण, समायोजना का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा वयस्क मताधिकार इत्यादि।